



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11042023-245088
CG-DL-W-11042023-245088

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13]	नई दिल्ली, अप्रैल 2—अप्रैल 8, 2023, शनिवार/चैत्र 12,—चैत्र 18, 1945
No. 13]	NEW DELHI, APRIL 2—APRIL 8, 2023, SATURDAY/CHAITRA 12,—CHAITRA 18, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सा.का.नि. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलुरु कनिष्ठ अभियंता (सिविल), सहायक अभियंता (सिविल) सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) और उप-निदेशक (सिविल इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2016 को जहाँ तक उनका संबंध कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल), सहायक अभियंता (सिविल) सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) और उप-निदेशक (सिविल इंजीनियरी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु में कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलुरु कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) (समूह 'ख') भर्ती नियम 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हता आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हताएं- वह व्यक्ति -**
 - (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद-संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)	08* (2023) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं, (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं

इंजीनियरिंग में डिग्री या तीन वर्ष का डिप्लोमा। टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: 1. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और 2. जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति: (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलुरु – अध्यक्ष, 2. अवर सचिव (प्रशासन) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय – सदस्य, 3. उप-निदेशक (सिविल इंजीनियरी), केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलुरु – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 4-14/2016-प्रशा. V]

उमेश शंकर प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Fisheries)**

New Delhi, the 31st March, 2023

G.S.R. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore Junior Engineer, Assistant Engineer (Civil), Assistant Director (Civil Engineering) and Deputy Director (Civil Engineering) Recruitment Rules, 2016, in so far as they relates to the post of Junior Engineer (Civil), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Engineer (Civil), in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Junior Engineer (Civil), (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No Person, -

- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Schedules Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Engineer (Civil).	08* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted Group 'B'.	Level -6 (Rs. 35,400 – 1,12,400).	Not applicable.	Not exceeding 30 Years (relatable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issue by central Government). Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Qualification: Degree or three year diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years.	By Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of central government.- (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consist of: 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Chairman; 2. Under Secretary (Administration), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying – Member; 3. Deputy Director (Civil Engineering), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 4-14/2016-Admn.V]

UMESH SHANKAR PRASAD, Under Secy.